जज अदालत उपखण्डाधिकारी मुकाम रामगढ़

अंगूरी बनाम कल्याण सिंह

किस्म मुकदमा दावा नं. 89/16 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
14/5/18	आज यह पत्रावली रामगढ़ लोक अदालत में पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित, सुनवाई की गयी। यह प्रकरण वादीगण द्वारा प्रतिवादी सं. 1 व 2 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने बाबत पेश किया है। विवादित आराजी ख.न. 931/0.03, 932/0.13, 936/0.07, 937/0.02, 938/0.04 स्थित ग्राम नागर तहसील रामगढ़ में प्रतिवादी सं. 1 व 2 का कोई सम्बन्ध व सरोकार न होने, उनके द्वारा वादीगण के कब्जे कब्जे में दखलन्दाजी देने की वजह कहते हुए उन्हें पाबन्द किये जाने बाबत निवेदन किया गया है।	राजस्व लोक अदालत अधिनियम आपके द्वारा-2015
	केस के मजमून आम में सुनवाई एवं सुनवाई तथा चर्चा की गयी। रिकार्ड अवलोकन से प्रतिवादी सं. 1 व 2 का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं पाया जाता है। अतः आदेश है कि दावा वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी सं. 1 व 2 डिक्री किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 व 2 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित आराजी ख.न. 931/0.03, 932/0.13, 936/0.07, 937/0.02 स्थित ग्राम नागर तहसील रामगढ़ पर वादीगण के कब्जे कब्जे में कोई हस्तक्षेप न करें विवादित आराजी की मेड़ को न तोड़े व बेदखल कब्जा न करें। पत्रावली डिक्री पायी हुई पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर हो। हुक्म सुनाया गया।	

उप खण्डाधिकारी